This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
http://rajpatrahimachal.nic.in

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शनिवार, 01 फरवरी, 2025 / 12 माघ, 1946

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 30 जनवरी, 2025

संख्याः एल.एल.आर.–डी.(6)–11 / 2024–लेज.––हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश ए.पी.जी. (अलख प्रकाश गोयल)

शिमला विश्वविद्यालय स्थापना और विनियमन संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 9) को दिनांक 27–01–2025 को अनुमोदित कर दिया है तथा अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन, विधेयक के अंग्रेजी पाठ को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने के लिए प्राधिकृत कर दिया है। अतः उपरोक्त विधेयक को वर्ष 2025 के अधिनियम संख्यांक 9 के रूप में अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित राजपत्र (ई–गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।

आदेश द्वारा,

शरद कुमार लगवाल,
प्रधान सचिव (विधि)।

———————

ए पी जी (अलख प्रकाश गोयल) शिमला विश्वविद्यालय स्थापना और विनियमन संशोधन अधिनियम, 2024

धाराओं का क्रम

धाराः

1. संक्षिप्त नाम।
2. धारा 38 का संशोधन।
3. धारा 39 का संशोधन।

———————

2025 का अधिनियम संख्यांक 9.

ए पी जी (अलख प्रकाश गोयल) शिमला विश्वविद्यालय स्थापना और विनियमन संशोधन अधिनियम, 2024

(माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 27 जनवरी, 2025 को यथाअनुमोदित)

ए पी जी (अलख प्रकाश गोयल) शिमला विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2012 (2013 का अधिनियम संख्यांक 20) का और संशोधन करने के लिए **अधिनियम।**

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. संक्षिप्त नाम.––इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम एपीजी (अलख प्रकाश गोयल) शिमला विश्वविद्यालय स्थापना और विनियमन संशोधन अधिनियम, 2024 है।

2. धारा 38 का संशोधन.––ए पी जी (अलख प्रकाश गोयल) शिमला विश्वविद्यालय स्थापना और विनियमन अधिनियम, 2012 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 38 की उप–धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

> "(2) उप–धारा (1) के अधीन तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां विनियामक आयोग और सरकार को प्रस्तुत की जाएंगी। सरकार ऐसी रिपोर्ट को विधान सभा के समक्ष रखवाएगी ।"।

3. धारा 39 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 39 की उप–धारा (4) के अन्त में,––

''सरकार ऐसे लेखों और तुलनपत्र को विधान सभा के समक्ष रखवाएगी।'', शब्द और चिन्ह जोड़े जाएंगे।

———————

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE APG (ALAKH PRAKASH GOYAL) SHIMLA UNIVERSITY ESTABLISHMENT AND REGULATION AMENDMENT ACT, 2024

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sections:

1. Short title.
2. Amendment of section 38.
3. Amendment of section 39.

———————

Act No. 9 of 2025.

THE APG (ALAKH PRAKASH GOYAL) SHIMLA UNIVERSITY ESTABLISHMENT AND REGULATION AMENDMENT ACT, 2024

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 27TH JANUARY, 2025)

AN

ACT

further to amend the APG (Alakh Prakash Goyal) Shimla University Establishment and Regulation Act, 2012 (Act No. 20 of 2013).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-fifth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the APG (Alakh Prakash Goyal) Shimla University Establishment and Regulation Amendment Act, 2024.

2. Amendment of section 38.—In section 38 of the APG (Alakh Prakash Goyal) Shimla University Establishment and Regulation Act, 2012 (hereinafter referred to as the "principal Act"), for sub-section (2), the following shall be substituted, namely:—

"(2) Copies of annual report prepared under sub-section (1) shall also be presented to the Regulatory Commission and the Government. The Government shall cause such report to be laid before the Legislative Assembly." .

3. Amendment of section 39.—In section 39 of the principal Act, in sub-section (4), at the end, the words and sign "The Government shall cause such accounts and balance sheet to be laid before the Legislative Assembly." shall be added.

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 30 जनवरी, 2025

संख्याः एल.एल.आर.–डी.(6)–15 / 2024–लेज.––हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री साईं विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 14) को दिनांक 27–01–2025 को अनुमोदित कर दिया है तथा अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन, विधेयक के अंग्रेजी पाठ को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने के लिए प्राधिकृत कर दिया है। अतः उपरोक्त विधेयक को वर्ष 2025 के अधिनियम संख्यांक 11 के रूप में अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित राजपत्र (ई–गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।

आदेश द्वारा,

शरद कुमार लगवाल,
प्रधान सचिव (विधि)।

————————

श्री साई विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2024

धाराओं का क्रम

धाराः

1. संक्षिप्त नाम।
2. धारा 38 का संशोधन।
3. धारा 39 का संशोधन।

————————————

2025 का अधिनियम संख्यांक 11

श्री साई विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2024

(माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 27 जनवरी, 2025 को यथा अनुमोदित)

श्री साई विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2010 (2011 का अधिनियम संख्यांक 3) का और संशोधन करने के लिए **अधिनियम।**

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. संक्षिप्त नाम.––इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम श्री साई विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2024 है।

2. धारा 38 का संशोधन.—श्री साई विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2010 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 38 की उप–धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

"(2) उप–धारा (1) के अधीन तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां विनियामक आयोग और सरकार को प्रस्तुत की जाएंगी। सरकार ऐसी रिपोर्ट को विधान सभा के समक्ष रखवाएगी।"।

3. धारा 39 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 39 की उप–धारा (4) के अन्त में,––

''सरकार ऐसे लेखों और तुलनपत्र को विधान सभा के समक्ष रखवाएगी।'', शब्द और चिन्ह जोड़े जाएंगे।

————————

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE SRI SAI UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION) AMENDMENT ACT, 2024

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sections:

1. Short title.
2. Amendment of section 38.
3. Amendment of section 39.

————————

Act No. 11 of 2025.

THE SRI SAI UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION) AMENDMENT ACT, 2024

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 27TH JANUARY, 2025)

AN

ACT

further to amend the Sri Sai University (Establishment and Regulation) Act, 2010 (Act No. 3 of 2011).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy- fifth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Sri Sai University (Establishment and Regulation) Amendment Act, 2024.

2. Amendment of section 38.—In section 38 of the Sri Sai University (Establishment and Regulation) Act, 2010 (hereinafter referred to as the "principal Act") for sub-section (2), the following shall be substituted, namely:—

"(2) Copies of annual report prepared under sub-section (1) shall also be presented to the Regulatory Commission and the Government. The Government shall cause such report to be laid before the Legislative Assembly." .

3. Amendment of section 39.—In section 39 of the principal Act, in sub-section (4), at the end, the words and sign "The Government shall cause such accounts and balance sheet to be laid before the Legislative Assembly." shall be added.

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 30 जनवरी, 2025

संख्याः एल.एल.आर.–डी.(6)–21 / 2024–लेज.––हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इण्डस इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 17) को दिनांक 27–01–2025 को अनुमोदित कर दिया है तथा अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन, विधेयक के अंग्रेजी पाठ को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने के लिए प्राधिकृत कर दिया है। अतः उपरोक्त विधेयक को वर्ष 2025 के अधिनियम संख्यांक 10 के रूप में अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित राजपत्र (ई–गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।

आदेश द्वारा,

शरद कुमार लगवाल,
प्रधान सचिव (विधि)।

इण्डस इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2024

धाराओं का क्रम

धाराः

1. संक्षिप्त नाम।
2. धारा 38 का संशोधन।
3. धारा 39 का संशोधन।

2025 का अधिनियम संख्यांक 10.

इण्डस इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2024

(माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 27 जनवरी, 2025 को यथा अनुमोदित)

इण्डस इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 (2010 का अधिनियम संख्यांक 1) का और संशोधन करने के लिए **अधिनियम** ।

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. **संक्षिप्त नाम.**––इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम इण्डस इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2024 है।

2. **धारा 38 का संशोधन.**––इण्डस इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 38 की उप–धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

> "(2) उप–धारा (1) के अधीन तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां विनियामक आयोग और सरकार को प्रस्तुत की जाएंगी। सरकार ऐसी रिपोर्ट को विधान सभा के समक्ष रखवाएगी।"।

3. **धारा 39 का संशोधन.**––मूल अधिनियम की धारा 39 की उप–धारा (4) के अन्त में,––

> ''सरकार ऐसे लेखों और तुलनपत्र को विधान सभा के समक्ष रखवाएगी।'', शब्द और चिन्ह जोड़े जाएंगे।

––––––––––

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE INDUS INTERNATIONAL UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION) AMENDMENT ACT, 2024

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sections:

1. Short title.

2. Amendment of section 38.

3. Amendment of section 39.

Act No. 10 of 2025.

THE INDUS INTERNATIONAL UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION) AMENDMENT ACT, 2024

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 27TH JANUARY, 2025)

AN

ACT

further to amend the Indus International University (Establishment and Regulation) Act, 2009 (Act No. 1 of 2010).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy- fifth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title .—This Act may be called the Indus International University (Establishment and Regulation) Amendment Act, 2024.

2. Amendment of section 38.—In section 38 of the Indus International University (Establishment and Regulation) Act, 2009 (hereinafter referred to as the "principal Act") for sub-section (2), the following shall be substituted, namely:—

> "(2) Copies of annual report prepared under sub-section (1) shall also be presented to the Regulatory Commission and the Government. The Government shall cause such report to be laid before the Legislative Assembly." .

3. Amendment of section 39.—In section 39 of the principal Act, in sub-section (4), at the end, the words and sign "The Government shall cause such accounts and balance sheet to be laid before the Legislative Assembly." shall be added.

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 30 जनवरी, 2025

संख्याः एल.एल.आर.–डी.(6)–18 / 2024–लेज.––हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चिटकारा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 16) को दिनांक 27–01–2025 को अनुमोदित कर दिया है तथा अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन, विधेयक के अंग्रेजी पाठ को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने के लिए प्राधिकृत कर दिया है। अतः उपरोक्त विधेयक को वर्ष 2025 के अधिनियम संख्यांक 8 के रूप में अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित राजपत्र (ई–गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।

आदेश द्वारा,

शरद कुमार लगवाल,
प्रधान सचिव (विधि)।

चिटकारा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2024

धाराओं का क्रम

धाराः

1. संक्षिप्त नाम।
2. धारा 38 का संशोधन।
3. धारा 39 का संशोधन।

———————

2025 का अधिनियम संख्यांक 8.

चिटकारा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2024

(माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 27 जनवरी, 2025 को यथा अनुमोदित)

चिटकारा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2008 (2009 का अधिनियम संख्यांक 2) का और संशोधन करने के लिए **अधिनियम।**

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. संक्षिप्त नाम.––इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम चिटकारा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2024 है।

2. धारा 38 का संशोधन.––चिटकारा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 38 की उप–धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

"(2) उप–धारा (1) के अधीन तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां विनियामक आयोग और सरकार को प्रस्तुत की जाएंगी। सरकार ऐसी रिपोर्ट को विधान सभा के समक्ष रखवाएगी।"।

3. धारा 39 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 39 की उप–धारा (4) के अन्त में,––

''सरकार ऐसे लेखों और तुलनपत्र को विधान सभा के समक्ष रखवाएगी।'', शब्द और चिन्ह जोड़े जाएंगे।

————————

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE CHITKARA UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION) AMENDMENT ACT, 2024

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sections:

1. Short title.
2. Amendment of section 38.
3. Amendment of section 39.

Act No. 8 of 2025.

THE CHITKARA UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION) AMENDMENT ACT, 2024

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 27TH JANUARY, 2025)

AN

ACT

further to amend the Chitkara University (Establishment and Regulation) Act, 2008 (Act No. 2 of 2009).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy- fifth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Chitkara University (Establishment and Regulation) Amendment Act, 2024.

2. Amendment of section 38.—In section 38 of the Chitkara University (Establishment and Regulation) Act, 2008 (hereinafter referred to as the "principal Act") for sub-section (2), the following shall be substituted, namely:—

> "(2) Copies of annual report prepared under sub-section (1) shall also be presented to the Regulatory Commission and the Government. The Government shall cause such report to be laid before the Legislative Assembly." .

3. Amendment of section 39.— In section 39 of the principal Act, in sub-section (4), at the end, the words and sign "The Government shall cause such accounts and balance sheet to be laid before the Legislative Assembly." shall be added.

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 28 जनवरी, 2025

संख्याः एल.एल.आर.–डी.(6)–38 / 2024–लेज.––हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक,

2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 30) को दिनांक 24–01–2025 को अनुमोदित कर दिया है तथा अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन, विधेयक के अंग्रेजी पाठ को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने के लिए प्राधिकृत कर दिया है। अतः उपरोक्त विधेयक को वर्ष 2025 के अधिनियम संख्यांक 1 के रूप में अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित राजपत्र (ई–गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।

आदेश द्वारा,

शरद कुमार लगवाल,
प्रधान सचिव (विधि)।

————————

हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 4) अधिनियम, 2024

धाराओं का क्रम

धाराः

1. संक्षिप्त नाम।
2. हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 2015–2016 के लिए कतिपय व्ययों को पूरा करने के लिए ₹ 28,48,43,38,113 की और राशि प्राधिकृत करना।
3. विनियोग।

अनुसूची।

————————

2025 का अधिनियम संख्यांक 1

हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 4) अधिनियम, 2024

(राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 24 जनवरी, 2025 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से, वित्तीय वर्ष 2015–2016 में, कतिपय सेवाओं पर, उन सेवाओं के लिए उस वर्ष के लिए प्राधिकृत या मंजूर की गई रकम से अधिक व्यय की गई रकम को पूरा करने के लिए, कतिपय रकम के विनियोजन को प्राधिकृत करने के लिए **अधिनियम।**

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. संक्षिप्त नाम.––इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 4) अधिनियम, 2024 है।

2. हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 2015–2016 के लिए कतिपय व्ययों को पूरा करने के लिए ₹28,48,43,38,113 की और राशि प्राधिकृत करना.––हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ तृतीय में विनिर्दिष्ट राशियां, जिनका योग केवल ₹28,48,43,38,113 (दो हजार आठ

सौ अड़तालीस करोड़, तैंतालीस लाख, अड़तीस हजार, एक सौ तेरह रुपए) है, वित्तीय वर्ष 2015–2016 के दौरान अनुसूची के स्तम्भ द्वितीय में विनिर्दिष्ट सेवाओं से सम्बन्धित प्रभारों को चुकाने के लिए, उन सेवाओं और उस वर्ष के लिए प्राधिकृत या मंजूर की गई रकम से अधिक व्यय की गई रकम को पूरा करने के लिए संदत्त किए जाने और उपयोजन के लिए प्राधिकृत समझी जाएंगी।

3. विनियोग.––इस अधिनियम के अधीन, हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से संदत्त और उपयोजन के लिए प्राधिकृत समझी जाने वाली राशियां, वित्तीय वर्ष 2015–2016 से सम्बन्धित अनुसूची में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित समझी जाएंगी।

अनुसूची

(धारा 2 और 3 देखें)

1	2	3		
		निम्नलिखित राशियों से अनधिक		
मांग संख्या	सेवाएं और प्रयोजन	**विधान सभा द्वारा दत्तमत** ₹	**संचित निधि पर प्रभारित** ₹	**कुल** ₹
05	भू–राजस्व व जिला प्रशासन (राजस्व)	1,90,95,50,008	––	1,90,95,50,008
08	शिक्षा (पूंजीगत)	4,65,000	––	4,65,000
10	लोक निर्माण – सड़क, पुल एवं भवन (पूंजीगत)	63,08,76,752	––	63,08,76,752
13	सिंचाई, जलापूर्ति एवं सफाई (राजस्व)	1,84,97,38,556	44,00,000	1,85,41,38,556
16	वन और वन्य जीव (पूंजीगत)	––	4,25,87,077	4,25,87,077
19	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता (पूंजीगत)	76,73,048	––	76,73,048
23	विद्युत विकास (पूंजीगत)	37,25,73,000	––	37,25,73,000
28	शहरी विकास (राजस्व)	34,73,663	––	34,73,663
29	वित्त (राजस्व)	––	47,13,39,212	47,13,39,212
	(पूंजीगत)	––	23,19,16,61,797	23,19,16,61,797
	कुल (राजस्व)	**3,76,27,62,227**	**47,57,39,212**	**4,23,85,01,439**
	(पूंजीगत)	**1,01,15,87,800**	**23,23,42,48,874**	**24,24,58,36,674**
	कुल जोड़	**4,77,43,50,027**	**23,70,99,88,086**	**28,48,43,38,113**

———

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION (NUMBER 4) ACT, 2024

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sections :

1. Short title.

2. Authorisation of a further sum of ₹ 28,48,43,38,113 out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh to meet out certain expenditure for the financial year 2015-2016.

3. Appropriation.

THE SCHEDULE.

Act No. 1 of 2025

THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION (NUMBER 4) ACT, 2024

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 24TH JANUARY, 2025)

AN

ACT

to authorise appropriation of certain sums out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh to meet out the amount spent on the certain services for the financial year 2015-2016 in excess of the amount authorised or granted for those services in that year.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-fifth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Appropriation (Number 4) Act, 2024.

2. Authorisation of a further sum of ₹28,48,43,38,113 out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh to meet out certain expenditure for the financial year 2015-2016.—From and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh, the sums specified in column (3) of THE SCHEDULE amounting in the aggregate to the sum of ₹ 28,48,43,38,113 (Two thousand eight hundred forty eight crore, forty three lakh, thirty eight thousand, one hundred thirteen rupees only) shall be deemed to have been authorised to be paid and applied to meet the amount spent for defraying the charges in respect of the services specified in column (2) of THE SCHEDULE during the financial year 2015-2016 in excess of the amount authorised or granted for those services in that year.

3. Appropriation.—The sums deemed to have been authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of the Himachal Pradesh under this Act shall be deemed to have been appropriated for the services and purposes expressed in THE SCHEDULE in relation to the financial year 2015-2016.

THE SCHEDULE
(See sections 2 and 3)

1	2	3		
Demand No.	Services and purposes	Sums not exceeding		
		Voted by the Legislative Assembly ₹	Charged on the Consolidated Fund ₹	Total ₹
05	Land Revenue and (Revenue)	1,90,95,50,008	--	1,90,95,50,008

	District Administration				
08	Education	(Capital)	4,65,000	---	4,65,000
10	Public Works, road, bridges and buildings	(Capital)	63,08,76,752	---	63,08,76,752
13	Irrigation, Water Supply and Sanitation	(Revenue)	1,84,97,38,556	44,00,000	1,85,41,38,556
16	Forest and Wildlife	(Capital)	---	4,25,87,077	4,25,87,077
19	Social Justice and Empowerment	(Capital)	76,73,048	---	76,73,048
23	Power Development	(Capital)	37,25,73,000	---	37,25,73,000
28	Urban Development	(Revenue)	34,73,663	---	34,73,663
29	Finance	(Revenue)	---	47,13,39,212	47,13,39,212
		(Capital)	---	23,19,16,61,797	23,19,16,61,797
	Total	**(Revenue)**	**3,76,27,62,227**	**47,57,39,212**	**4,23,85,01,439**
		(Capital)	**1,01,15,87,800**	**23,23,42,48,874**	**24,24,58,36,674**
		Grand Total	**4,77,43,50,027**	**23,70,99,88,086**	**28,48,43,38,113**

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 28 जनवरी, 2025

संख्याः एल.एल.आर.–डी.(6)–39 / 2024–लेज.––हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 5) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 31) को दिनांक 24–01–2025 को अनुमोदित कर दिया है तथा अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन, विधेयक के अंग्रेजी पाठ को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने के लिए प्राधिकृत कर दिया है। अतः उपरोक्त विधयेक को वर्ष 2025 के अधिनियम संख्यांक 2 के रूप में अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित राजपत्र (ई–गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।

आदेश द्वारा,

शरद कुमार लगवाल,
प्रधान सचिव (विधि)।

हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 5) अधिनियम, 2024

धाराओं का क्रम

धाराः

1. संक्षिप्त नाम।
2. हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 2016–2017 के लिए कतिपय व्ययों को पूरा करने के लिए ₹30,37,60,82,471 की और राशि प्राधिकृत करना।
3. विनियोग।

अनुसूची।

———————

2025 का अधिनियम संख्यांक 2

हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 5) अधिनियम, 2024

(माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 24 जनवरी, 2025 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से, वित्तीय वर्ष 2016–2017 में, कतिपय सेवाओं पर, उन सेवाओं के लिए उस वर्ष के लिए प्राधिकृत या मंजूर की गई रकम से अधिक व्यय की गई रकम को पूरा करने के लिए, कतिपय रकम के विनियोजन को प्राधिकृत करने के लिए **अधिनियम।**

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. **संक्षिप्त नाम.**––इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 5) अधिनियम, 2024 है।

2. हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 2016–2017 के लिए कतिपय व्ययों को पूरा करने के लिए ₹30,37,60,82,471 की और राशि प्राधिकृत करना.––हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ तृतीय में विनिर्दिष्ट राशियां, जिनका योग केवल ₹30,37,60,82,471 (तीन हजार सैंतीस करोड़, साठ लाख, बयासी हज़ार, चार सौ इकहतर रूपए) है, वित्तीय वर्ष 2016–2017 के दौरान अनुसूची के स्तम्भ द्वितीय में विनिर्दिष्ट सेवाओं से सम्बन्धित प्रभारों को चुकाने के लिए, उन सेवाओं और उस वर्ष के लिए प्राधिकृत या मंजूर की गई रकम से अधिक व्यय की गई रकम को पूरा करने के लिए संदत्त किए जाने और उपयोजन के लिए प्राधिकृत समझी जाएंगी।

3. **विनियोग.**––इस अधिनियम के अधीन, हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से संदत्त और उपयोजन के लिए प्राधिकृत समझी जाने वाली राशियां, वित्तीय वर्ष 2016–2017 से सम्बन्धित अनुसूची में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित समझी जाएंगी।

———————

अनुसूची

(धारा 2 और 3 देखें)

1	2	3		
मांग संख्या	सेवाएं और प्रयोजन	निम्नलिखित राशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा दत्तमत ₹	**संचित निधि पर प्रभारित** ₹	**कुल** ₹
01	विधान सभा (राजस्व)	–	17,900	17,900
02	राज्यपाल और न्याय परिषद (राजस्व)	15,31,566	–	15,31,566
03	न्याय प्रशासन (पूंजीगत)	531	–	531
10	लोक निर्माण – सड़क, पुल एवं भवन (पूंजीगत)	1,07,99,94,918	–	1,07,99,94,918
13	सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता (राजस्व)	1,88,28,80,059	–	1,88,28,80,059
16	वन और वन्य जीव (राजस्व)	–	22,87,000	22,87,000
23	विद्युत विकास (पूंजीगत)	26,87,01,42,000	–	26,87,01,42,000
29	वित्त (पूंजीगत)	–	53,92,28,497	53,92,28,497
	कुल (राजस्व)	**1,88,44,11,625**	**23,04,900**	**1,88,67,16,525**
	(पूंजीगत)	**27,95,01,37,449**	**53,92,28,497**	**28,48,93,65,946**
	कुल जोड़	**29,83,45,49,074**	**54,15,33,397**	**30,37,60,82,471**

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION (NUMBER 5) ACT, 2024

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sections :

1. Short title.

2. Authorisation of a further sum of ₹ 30,37,60,82,471 out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh to meet out certain expenditure for the financial year 2016-2017.

3. Appropriation.

THE SCHEDULE.

Act No. 2 of 2025

THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION (NUMBER 5) ACT, 2024

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 24TH JANUARY, 2025)

AN

ACT

to authorise appropriation of certain sums out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh to meet out the amount spent on the certain services for the financial year 2016-2017 in excess of the amount authorised or granted for those services in that year.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-fifth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Appropriation (Number 5) Act, 2024.

2. Authorisation of a further sum of ₹30,37,60,82,471 out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh to meet out certain expenditure for the financial year 2016-2017.—From and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh, the sums specified in column (3) of THE SCHEDULE amounting in the aggregate to the sum of ₹ 30,37,60,82,471 (Three thousand thirty seven crore, sixty lakh, eighty two thousand, four hundred seventy one rupees only) shall be deemed to have been authorised to be paid and applied to meet the amount spent for defraying the charges in respect of the services specified in column (2) of THE SCHEDULE during the financial year 2016-2017 in excess of the amount authorised or granted for those services in that year.

3. Appropriation.—The sums deemed to have been authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of the Himachal Pradesh under this Act shall be deemed to have been appropriated for the services and purposes expressed in THE SCHEDULE in relation to the financial year 2016-2017.

———————

THE SCHEDULE

(See sections 2 and 3)

1	2	3		
Demand No.	Services and purposes	Sums not exceeding		
		Voted by the Legislative Assembly ₹	Charged on the Consolidated Fund ₹	Total ₹
01	Vidhan Sabha (Revenue)	---	17,900	17,900
02	Governor and Council of Justice (Revenue)	15,31,566	---	15,31,566
03	Administration of Justice (Capital)	531	---	531

10	Public Works-Roads, Bridges and Buildings	(Capital)	1,07,99,94,918	---	1,07,99,94,918
13	Irrigation, Water Supply and Sanitation	(Revenue)	1,88,28,80,059	---	1,88,28,80,059
16	Forest and Wildlife	(Revenue)	---	22,87,000	22,87,000
23	Power Development	(Capital)	26,87,01,42,000	---	26,87,01,42,000
29	Finance	(Capital)	---	53,92,28,497	53,92,28,497
	Total	**(Revenue)**	**1,88,44,11,625**	**23,04,900**	**1,88,67,16,525**
		(Capital)	**27,95,01,37,449**	**53,92,28,497**	**28,48,93,65,946**
	Grand Total		**29,83,45,49,074**	**54,15,33,397**	**30,37,60,82,471**

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 28 जनवरी, 2025

संख्याः एल.एल.आर.–डी.(6)–42 / 2024–लेज.––हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 8) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 34) को दिनांक 24–01–2025 को अनुमोदित कर दिया है तथा अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन, विधेयक के अंग्रेजी पाठ को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने के लिए प्राधिकृत कर दिया है। अतः उपरोक्त विधेयक को वर्ष 2025 के अधिनियम संख्यांक 3 के रूप में अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित राजपत्र (ई–गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।

आदेश द्वारा,

शरद कुमार लगवाल,
प्रधान सचिव (विधि)।

हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 8) अधिनियम, 2024

धाराओं का क्रम

धाराः

1. संक्षिप्त नाम।
2. हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 2019–2020 के लिए कतिपय व्ययों को पूरा करने के लिए ₹49,91,20,218 की और राशि प्राधिकृत करना।
3. विनियोग।

अनुसूची।

2025 का अधिनियम संख्यांक 3

हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 8) अधिनियम, 2024

(राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 24 जनवरी, 2025 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से, वित्तीय वर्ष 2019–2020 में, कतिपय सेवाओं पर, उन सेवाओं के लिए उस वर्ष के लिए प्राधिकृत या मंजूर की गई रकम से अधिक व्यय की गई रकम को पूरा करने के लिए, कतिपय रकम के विनियोजन को प्राधिकृत करने के लिए **अधिनियम।**

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

1. **संक्षिप्त नाम.**––इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 8) अधिनियम, 2024 है।

2. **हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 2019–2020 के लिए कतिपय व्ययों को पूरा करने के लिए ₹ 49,91,20,218 की और राशि प्राधिकृत करना.**––हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ तृतीय में विनिर्दिष्ट राशियां, जिनका योग केवल ₹49,91,20,218 (उनचास करोड़, इक्यानवे लाख, बीस हजार, दो सौ अठारह रूपए) है, वित्तीय वर्ष 2019–2020 के दौरान अनुसूची के स्तम्भ द्वितीय में विनिर्दिष्ट सेवाओं से सम्बन्धित प्रभारों को चुकाने के लिए, उन सेवाओं और उस वर्ष के लिए प्राधिकृत या मंजूर की गई रकम से अधिक व्यय की गई रकम को पूरा करने के लिए संदत्त किए जाने और उपयोजन के लिए प्राधिकृत समझी जाएंगी।

3. **विनियोग.**––इस अधिनियम के अधीन, हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से संदत्त और उपयोजन के लिए प्राधिकृत समझी जाने वाली राशियां, वित्तीय वर्ष 2019–2020 से सम्बन्धित अनुसूची में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित समझी जाएंगी।

––––––––

अनुसूची

(धारा 2 और 3 देखें)

1	2	3		
मांग संख्या	सेवाएं और प्रयोजन	निम्नलिखित राशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा दत्तमत ₹	**संचित निधि पर प्रभारित ₹**	**कुल ₹**
05	भू–राजस्व व जिला प्रशासन (राजस्व)	––	1,20,000	1,20,000
13	सिंचाई, जल आपूर्ति एवं सफाई (पूंजीगत)	48,07,99,467	22,70,296	48,30,69,763
21	सहकारिता (पूंजीगत)	3,50,000	–––	3,50,000
22	खाद्य और नागरिक आपूर्ति (राजस्व)	1,49,32,006	––	1,49,32,006

28	शहरी विकास, नगर एवं ग्राम योजना	(पूंजीगत)	6,06,266	——	6,06,266
29	वित्त	(पूंजीगत)	——	42,183	42,183
		कुल (राजस्व)	**1,49,32,006**	**1,20,000**	**1,50,52,006**
		(पूंजीगत)	**48,17,55,733**	**23,12,479**	**48,40,68,212**
		कुल जोड़	**49,66,87,739**	**24,32,479**	**49,91,20,218**

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION (NUMBER 8) ACT, 2024

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Section:

1. Short title.

2. Authorisation of a further sum of ₹ 49,91,20,218 out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh to meet out certain expenditure for the financial year 2019-2020.

3. Appropriation.

THE SCHEDULE.

Act No. 3 of 2025

THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION (NUMBER 8) ACT, 2024

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 24TH JANUARY, 2025)

AN

ACT

to authorise appropriation of certain sums out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh to meet out the amount spent on the certain services for the financial year 2019-2020 in excess of the amount authorised or granted for those services in that year.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-fifth Year of the Republic of India as follows:-

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Appropriation (Number 8) Act, 2024.

2. Authorisation of a further sum of ₹49,91,20,218 out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh to meet out certain expenditure for the financial year 2019-2020.—From and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh, the sums specified in column (3) of THE SCHEDULE amounting in the aggregate to the sum of ₹ 49,91,20,218 (Forty nine crore, ninety one lakh, twenty thousand, two hundred eighteen rupees only) shall be deemed to have been authorised to be paid and applied to meet the amount spent for defraying the charges in respect of the services specified in column (2) of THE SCHEDULE during the financial year 2019-2020 in excess of the amount authorised or granted for those services in that year.

3. Appropriation.—The sums deemed to have been authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of the Himachal Pradesh under this Act shall be deemed to have been appropriated for the services and purposes expressed in THE SCHEDULE in relation to the financial year 2019-2020.

THE SCHEDULE

(See sections 2 and 3)

1	2	3		
Demand No.	Services and purposes	Sums not exceeding		
		Voted by the Legislative Assembly ₹	Charged on the Consolidated Fund ₹	Total ₹
05	Land revenue and District Administration (Revenue)	—	1,20,000	1,20,000
13	Irrigation, Water supply and Sanitation (Capital)	48,07,99,467	22,70,296	48,30,69,763
21	Co-Operation (Capital)	3,50,000	—	3,50,000
22	Food and Civil Supplies (Revenue)	1,49,32,006	—	1,49,32,006
28	Urban Development, Town & Country Planning (Capital)	6,06,266	—	6,06,266
29	Finance (Capital)	—	42,183	42,183
	Total (Revenue)	**1,49,32,006**	**1,20,000**	**1,50,52,006**
	(Capital)	**48,17,55,733**	**23,12,479**	**48,40,68,212**
	Grand Total	**49,66,87,739**	**24,32,479**	**49,91,20,218**

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 28 जनवरी, 2025

संख्याः एल.एल.आर.–डी.(6)–41 / 20254–लेज.––हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 7) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 33) को दिनांक 24–01–2025 को अनुमोदित कर दिया है तथा अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन, विधेयक के अंग्रेजी पाठ को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने के लिए प्राधिकृत कर दिया है। अतः उपरोक्त विधयेक को वर्ष 2025 के अधिनियम संख्यांक 4 के रूप में अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित राजपत्र (ई–गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।

आदेश द्वारा,

शरद कुमार लगवाल,
प्रधान सचिव (विधि)।

————————

हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 7) अधिनियम, 2024

धाराओं का क्रम

धाराः

1. संक्षिप्त नाम।
2. हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 2018–2019 के लिए कतिपय व्ययों को पूरा करने के लिए ₹8,21,37,16,840 की और राशि प्राधिकृत करना।
3. विनियोग।

अनुसूची।

————————

2025 का अधिनियम संख्यांक 4

हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 7) अधिनियम, 2024

(माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 24 जनवरी, 2025 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से, वित्तीय वर्ष 2018–2019 में, कतिपय सेवाओं पर, उन सेवाओं के लिए उस वर्ष के लिए प्राधिकृत या मंजूर की गई रकम से अधिक व्यय की गई रकम को पूरा करने के लिए, कतिपय रकम के विनियोजन को प्राधिकृत करने के लिए **अधिनियम।**

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. संक्षिप्त नाम.––इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 7) अधिनियम, 2024 है।

2. हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 2018–2019 के लिए कतिपय व्ययों को पूरा करने के लिए ₹8,21,37,16,840 की और राशि प्राधिकृत करना.––हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ तृतीय में विनिर्दिष्ट राशियां, जिनका योग केवल ₹8,21,37,16,840 (आठ सौ इक्कीस करोड़, सैंतीस लाख, सोलह हजार, आठ सौ चालीस रूपए) है, वित्तीय वर्ष 2018–2019 के दौरान अनुसूची के स्तम्भ द्वितीय में विनिर्दिष्ट सेवाओं से सम्बन्धित प्रभारों को चुकाने के लिए, उन सेवाओं और उस वर्ष के लिए प्राधिकृत या मंजूर की गई रकम से अधिक व्यय की गई रकम को पूरा करने के लिए संदत्त किए जाने और उपयोजन के लिए प्राधिकृत समझी जाएंगी।

3. विनियोग.––इस अधिनियम के अधीन, हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से संदत्त और उपयोजन के लिए प्राधिकृत समझी जाने वाली राशियां, वित्तीय वर्ष 2018–2019 से सम्बन्धित अनुसूची में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित समझी जाएंगी।

––––––––––

अनुसूची

(धारा 2 और 3 देखें)

1	2	3		
मांग संख्या	सेवाएं और प्रयोजन	निम्नलिखित राशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा दत्तमत ₹	**संचित निधि पर प्रभारित** ₹	**कुल** ₹
03	न्याय प्रशासन (पूंजीगत)	4,08,36,300	––	4,08,36,300
05	भू राजस्व व जिला प्रशासन (राजस्व)	5,64,88,23,349	––	5,64,88,23,349
07	पुलिस औरं सम्बद्ध संगठन (राजस्व)	––	4,05,000	4,05,000
10	लोक निर्माण – सड़क, पुल एवं भवन (पूंजीगत)	49,70,24,067	22,43,128	49,92,67,195
12	बागवानी (पूंजीगत)	9,99,96,475	––	9,99,96,475
13	सिंचाई, जलापूर्ति एवं सफाई (राजस्व)	1,06,32,83,708	––	1,06,32,83,708
20	ग्रामीण विकास (राजस्व)	––	23,91,308	23,91,308
22	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति (राजस्व)	35,29,45,402	––	35,29,45,402
25	सड़क और जल परिवहन (राजस्व)	––	13,57,907	13,57,907
29	वित्त (पूंजीगत)	––	50,44,10,196	50,44,10,196
	कुल (राजस्व)	**7,06,50,52,459**	**41,54,215**	**7,06,92,06,674**
	(पूंजीगत)	**63,78,56,842**	**50,66,53,324**	**1,14,45,10,166**
	कुल जोड़	**7,70,29,09,301**	**51,08,07,539**	**8,21,37,16,840**

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION (NUMBER 7) ACT, 2024

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sections :

1. Short title.

2. Authorisation of a further sum of ₹ 8,21,37,16,840 out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh to meet out certain expenditure for the financial year 2018-2019.
3. Appropriation.
THE SCHEDULE.

Act No. 4 of 2025

THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION (NUMBER 7) ACT, 2024

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 24TH JANUARY, 2025)

AN

ACT

to authorise appropriation of certain sums out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh to meet out the amount spent on the certain services for the financial year 2018-2019 in excess of the amount authorised or granted for those Services in that year.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-fifth Year of the Republic of India as follows:—

1. **Short title.**—This Act may be called the Himachal Pradesh Appropriation (Number 7) Act, 2024.

2. Authorisation of a further sum of ₹8,21,37,16,840 out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh to meet out certain expenditure for the financial year 2018-2019.—From and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh, the sums specified in column (3) of THE SCHEDULE amounting in the aggregate to the sum of ₹ 8,21,37,16,840 (Eight hundred twenty one crore, thirty seven lakh, sixteen thousand, eight hundred forty rupees only) shall be deemed to have been authorised to be paid and applied to meet the amount spent for defraying the charges in respect of the services specified in column (2) of THE SCHEDULE during the financial year 2018-2019 in excess of the amount authorised or granted for those services in that year.

3. Appropriation.—The sums deemed to have been authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of the Himachal Pradesh under this Act shall be deemed to have been appropriated for the services and purposes expressed in THE SCHEDULE in relation to the financial year 2018-2019.

THE SCHEDULE

(See sections 2 and 3)

1	2	3		
Demand No.	Services and purposes	Sums not exceeding		
		Voted by the Legislative Assembly ₹	Charged on the Consolidated Fund ₹	Total ₹
03	Administration of Justice (Capital)	4,08,36,300	--	4,08,36,300
05	Land Revenue and District Administration (Revenue)	5,64,88,23,349	--	5,64,88,23,349
07	Police and Allied Organisations (Revenue)	---	4,05,000	4,05,000
10	Public Works-Roads, Bridges and Buildings (Capital)	49,70,24,067	22,43,128	49,92,67,195
12	Horticulture (Capital)	9,99,96,475	---	9,99,96,475
13	Irrigation, Water Supply and Sanitation (Revenue)	1,06,32,83,708	---	1,06,32,83,708
20	Rural Development (Revenue)	---	23,91,308	23,91,308
22	Food and Civil Supplies (Revenue)	35,29,45,402	---	35,29,45,402
25	Road and Water Transport (Revenue)	---	13,57,907	13,57,907
29	Finance (Capital)	---	50,44,10,196	50,44,10,196
	Total (Revenue)	**7,06,50,52,459**	**41,54,215**	**7,06,92,06,674**
	(Capital)	**63,78,56,842**	**50,66,53,324**	**1,14,45,10,166**
	Grand Total	**7,70,29,09,301**	**51,08,07,539**	**8,21,37,16,840**

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 28 जनवरी, 2025

संख्याः एल.एल.आर.–डी.(6)–43 / 2024–लेज.––हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 9) विधेयक,

2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 35) को दिनांक 24–01–2025 को अनुमोदित कर दिया है तथा अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन, विधेयक के अंग्रेजी पाठ को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने के लिए प्राधिकृत कर दिया है। अतः उपरोक्त विधेयक को वर्ष 2025 के अधिनियम संख्यांक 5 के रूप में अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित राजपत्र (ई–गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।

आदेश द्वारा,

शरद कुमार लगवाल,
प्रधान सचिव (विधि)।

————————

हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 9) अधिनियम, 2024

धाराओं का क्रम

धाराः

1. संक्षिप्त नाम।
2. हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 2020–2021 के लिए कतिपय व्ययों को पूरा करने के लिए ₹ 88,69,12,706 की और राशि प्राधिकृत करना।
3. विनियोग।

अनुसूची।

————————

2025 का अधिनियम संख्यांक 5

हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 9) अधिनियम, 2024

(माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 24 जनवरी, 2025 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से, वित्तीय वर्ष 2020–2021 में, कतिपय सेवाओं पर, उन सेवाओं के लिए उस वर्ष के लिए प्राधिकृत या मंजूर की गई रकम से अधिक व्यय की गई रकम को पूरा करने के लिए, कतिपय रकम के विनियोजन को प्राधिकृत करने के लिए **अधिनियम।**

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. संक्षिप्त नाम.––इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 9) अधिनियम, 2024 है।

2. हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 2020–2021 के लिए कतिपय व्ययों को पूरा करने के लिए ₹88,69,12,706 की और राशि प्राधिकृत करना.––हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ तृतीय में विनिर्दिष्ट राशियां, जिनका योग केवल ₹88,69,12,706 (अट्ठासी करोड़, उनहतर लाख, बारह हजार, सात सौ छः रूपए) है, वित्तीय वर्ष 2020–2021 के दौरान अनुसूची के स्तम्भ द्वितीय में विनिर्दिष्ट सेवाओं से सम्बन्धित प्रभारों को चुकाने के लिए, उन सेवाओं और उस वर्ष के लिए प्राधिकृत या मंजूर की गई रकम से अधिक व्यय की गई रकम को पूरा करने के लिए संदत्त किए जाने और उपयोजन के लिए प्राधिकृत समझी जाएंगी।

3. विनियोग.––इस अधिनियम के अधीन, हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से संदत्त और उपयोजन के लिए प्राधिकृत समझी जाने वाली राशियां, वित्तीय वर्ष 2020–2021 से सम्बन्धित अनुसूची में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित समझी जाएंगी।

————————

अनुसूची

(धारा 2 और 3 देखें)

1	2	3		
मांग संख्या	सेवाएं और प्रयोजन	निम्नलिखित राशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा दत्तमत ₹	**संचित निधि पर प्रभारित** ₹	**कुल** ₹
10	लोक निर्माण कार्य – (पूंजीगत) सड़क, पुल एवं भवन	62,10,40,558	––	62,10,40,558
13	सिंचाई, जलापूर्ति एवं (राजस्व) सफाई	––	8,39,000	8,39,000
25	सड़क और जल परिवहन (पूंजीगत)	6,11,05,979	––	6,11,05,979
28	शहरी विकास, नगर एवं (राजस्व) ग्राम योजना	20,39,26,716	––	20,39,26,716
31	जनजातीय विकास (पूंजीगत)	––	453	453
	कुल (राजस्व)	**20,39,26,716**	**8,39,000**	**20,47,65,716**
	(पूंजीगत)	**68,21,46,537**	**453**	**68,21,46,990**
	कुल जोड़	**88,60,73,253**	**8,39,453**	**88,69,12,706**

————————

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION (NUMBER 9) ACT, 2024

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sections :

1. Short title.

2. Authorisation of a further sum of ₹ 88,69,12,706 out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh to meet out certain expenditure for the financial year 2020-2021.

3. Appropriation.

THE SCHEDULE.

Act No. 5 of 2025

THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION (NUMBER 9) ACT, 2024

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 24TH JANUARY, 2025)

AN

ACT

to authorise appropriation of certain sums out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh to meet out the amount spent on the certain services for the financial year 2020-2021 in excess of the amount authorised or granted for those services in that year.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-fifth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Appropriation (Number 9) Act, 2024.

2. Authorisation of a further sum of ₹88,69,12,706 out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh to meet out certain expenditure for the financial year 2020-2021.—From and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh, the sums specified in column (3) of THE SCHEDULE amounting in the aggregate to the sum of ₹ 88,69,12,706 (Eighty eight crore, sixty nine lakh, twelve thousand, seven hundred six rupees only) shall be deemed to have been authorised to be paid and applied to meet the amount spent for defraying the charges in respect of the services specified in column (2) of THE SCHEDULE during the financial year 2020-2021 in excess of the amount authorised or granted for those services in that year.

3. Appropriation.—The sums deemed to have been authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of the Himachal Pradesh under this Act shall be deemed to have been appropriated for the services and purposes expressed in THE SCHEDULE in relation to the financial year 2020-2021.

———

THE SCHEDULE

(See sections 2 and 3)

1	2	3		
Demand No.	Services and purposes	Sums not exceeding		
		Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total
		₹	₹	₹
10	Public Works – Roads, Bridges and Buildings (Capital)	62,10,40,558	—	62,10,40,558
13	Irrigation, Water supply and Sanitation (Revenue)	—	8,39,000	8,39,000

25	Road and Water Transport (Capital)	6,11,05,979	—	6,11,05,979
28	Urban Development, Town and Country Planning (Revenue)	20,39,26,716	—	20,39,26,716
31	Tribal Development (Capital)	—	453	453
	Total (Revenue)	**20,39,26,716**	**8,39,000**	**20,47,65,716**
	(Capital)	**68,21,46,537**	**453**	**68,21,46,990**
	Grand Total	**88,60,73,253**	**8,39,453**	**88,69,12,706**

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 28 जनवरी, 2025

संख्याः एल.एल.आर.–डी.(6)–40 / 2025–लेज.––हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 6) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 32) को दिनांक 24–01–2025 को अनुमोदित कर दिया है तथा अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन, विधेयक के अंग्रेजी पाठ को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने के लिए प्राधिकृत कर दिया है। अतः उपरोक्त विधेयक को वर्ष 2025 के अधिनियम संख्यांक 6 के रूप में अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित राजपत्र (ई–गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।

आदेश द्वारा,

शरद कुमार लगवाल,
प्रधान सचिव (विधि)।

हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 6) अधिनियम, 2024

धाराओं का क्रम

धाराः

1. संक्षिप्त नाम।
2. हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 2017–2018 के लिए कतिपय व्ययों को पूरा करने के लिए ₹ 3,86,76,41,211 की और राशि प्राधिकृत करना।
3. विनियोग।

अनुसूची।

2025 का अधिनियम संख्यांक 6

हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 6) अधिनियम, 2024

(माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 24 जनवरी, 2025 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से, वित्तीय वर्ष 2017–2018 में, कतिपय सेवाओं पर, उन सेवाओं के लिए उस वर्ष के लिए प्राधिकृत या मंजूर की गई रकम से अधिक व्यय की गई रकम को पूरा करने के लिए, कतिपय रकम के विनियोजन को प्राधिकृत करने के लिए **अधिनियम।**

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

1. **संक्षिप्त नाम.**––इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 6) अधिनियम, 2024 है।

2. **हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 2017–2018 के लिए कतिपय व्ययों को पूरा करने के लिए ₹3,86,76,41,211 की और राशि प्राधिकृत करना.**––हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ तृतीय में विनिर्दिष्ट राशियां, जिनका योग केवल ₹3,86,76,41,211 (तीन सौ छियासी करोड़, छिहत्तर लाख, इकतालीस हजार, दो सौ ग्यारह रूपए) है, वित्तीय वर्ष 2017–2018 के दौरान अनुसूची के स्तम्भ द्वितीय में विनिर्दिष्ट सेवाओं से सम्बन्धित प्रभारों को चुकाने के लिए, उन सेवाओं और उस वर्ष के लिए प्राधिकृत या मंजूर की गई रकम से अधिक व्यय की गई रकम को पूरा करने के लिए संदत्त किए जाने और उपयोजन के लिए प्राधिकृत समझी जाएंगी।

3. **विनियोग.**––इस अधिनियम के अधीन, हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से संदत्त और उपयोजन के लिए प्राधिकृत समझी जाने वाली राशियां, वित्तीय वर्ष 2017–2018 से सम्बन्धित अनुसूची में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित समझी जाएंगी।

––––––––––

अनुसूची

(धारा 2 और 3 देखें)

1	2	3		
	सेवाएं और प्रयोजन	निम्नलिखित राशियों से अनधिक		
मांग संख्या		**विधान सभा द्वारा दत्तमत** **₹**	**संचित निधि पर प्रभारित** **₹**	**कुल** **₹**
05	भू राजस्व व जिला प्रशासन (राजस्व)	2,44,78,62,752	––	2,44,78,62,752
10	लोक निर्माण – सड़क, पुल एवं भवन (राजस्व)	1,36,95,85,973	––	1,36,95,85,973
	(पूंजीगत)	––	5,01,92,486	5,01,92,486
	कुल (राजस्व)	**3,81,74,48,725**	**––**	**3,81,74,48,725**
	(पूंजीगत)	**––**	**5,01,92,486**	**5,01,92,486**
	कुल जोड़	**3,81,74,48,725**	**5,01,92,486**	**3,86,76,41,211**

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION (NUMBER 6) ACT, 2024

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sections :

1. Short title.

2. Authorisation of a further sum of ₹ 3,86,76,41,211 out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh to meet out certain expenditure for the financial year 2017-2018.

3. Appropriation.

THE SCHEDULE.

Act No. 6 of 2025

THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION (NUMBER 6) ACT, 2024

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 24TH JANUARY, 2025)

AN

ACT

to authorise appropriation of certain sums out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh to meet out the amount spent on the certain services for the financial year 2017-2018 in excess of the amount authorised or granted for those services in that year.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-fifth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Appropriation (Number 6) Act, 2024.

2. Authorisation of a further sum of ₹3,86,76,41,211 out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh to meet out certain expenditure for the financial year 2017-2018.—From and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh, the sums specified in column (3) of THE SCHEDULE amounting in the aggregate to the sum of ₹ 3,86,76,41,211 (Three hundred eighty six crore, seventy six lakh, forty one thousand, two hundred eleven rupees only) shall be deemed to have been authorised to be paid and applied to meet the amount spent for defraying the charges in respect of the services specified in column (2) of THE SCHEDULE during the financial year 2017-2018 in excess of the amount authorised or granted for those services in that year.

3. Appropriation.—The sums deemed to have been authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of the Himachal Pradesh under this Act shall be

deemed to have been appropriated for the services and purposes expressed in THE SCHEDULE in relation to the financial year 2017-2018.

THE SCHEDULE

(See sections 2 and 3)

1	2	3		
Demand No.	Services and purposes	Sums not exceeding		
		Voted by the Legislative Assembly ₹	Charged on the Consolidated Fund ₹	Total ₹
05	Land Revenue and District Administration (Revenue)	2,44,78,62,752	—	2,44,78,62,752
10	Public Works – Roads, Bridges and Buildings (Revenue)	1,36,95,85,973	—	1,36,95,85,973
	(Capital)	—	5,01,92,486	5,01,92,486
	Total (Revenue)	**3,81,74,48,725**	**—**	**3,81,74,48,725**
	(Capital)	**—**	**5,01,92,486**	**5,01,92,486**
	Grand Total	**3,81,74,48,725**	**5,01,92,486**	**3,86,76,41,211**

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 30 जनवरी, 2025

संख्याः एल.एल.आर.–डी.(6)–14 / 2024–लेज.––हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था (विनियामक आयोग) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 7) को दिनांक 27–01–2025 को अनुमोदित कर दिया है तथा अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन, विधेयक के अंग्रेजी पाठ को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने के लिए प्राधिकृत कर दिया है। अतः उपरोक्त विधेयक को वर्ष 2025 के अधिनियम संख्यांक 7 के रूप में अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित राजपत्र (ई–गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।

आदेश द्वारा,

शरद कुमार लगवाल,
प्रधान सचिव (विधि)।

हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था (विनियामक आयोग) संशोधन अधिनियम, 2024

धाराओं का क्रम

धाराः

1. संक्षिप्त नाम।
2. धारा 13 का संशोधन।

———————

2025 का अधिनियम संख्यांक 7

हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था (विनियामक आयोग) संशोधन अधिनियम, 2024

(माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 27 जनवरी, 2025 को यथा अनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था (विनियामक आयोग) अधिनियम, 2010 (2011 का अधिनियम संख्यांक 15) का और संशोधन करने के लिए **अधिनियम।**

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. संक्षिप्त नाम.––इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था (विनियामक आयोग) संशोधन अधिनियम, 2024 है।

2. धारा 13 का संशोधन.––हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था (विनियामक आयोग) अधिनियम, 2010 की धारा 13 की उप–धारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

> "(3) आयोग प्रत्येक विश्वविद्यालय की बाबत प्राईवेट विश्वविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष आयोग को यथा प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखों पर उसकी सिफारिशों को राज्य सराकर को प्रस्तुत करेगा जो उसे विधान सभा के समक्ष रखवाएगी।''।

———————

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE HIMACHAL PRADESH PRIVATE EDUCATIONAL INSTITUTIONS (REGULATORY COMMISSION) AMENDMENT ACT, 2024

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sections:

1. Short title.
2. Amendment of section 13.

Act No. 7 of 2025

THE HIMACHAL PRADESH PRIVATE EDUCATIONAL INSTITUTIONS (REGULATORY COMMISSION) AMENDMENT ACT, 2024

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 27TH JANUARY, 2025)

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh Private Educational Institutions (Regulatory Commission) Act, 2010 (Act No. 15 of 2011).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy- fifth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Private Educational Institutions (Regulatory Commission) Amendment Act, 2024.

2. Amendment of section. 13.—In section 13 of the Himachal Pradesh Private Educational Institutions (Regulatory Commission) Act, 2010, after sub-section (2), the following sub-section shall be inserted, namely:—

> "(3) The Commission shall submit its recommendations of the annual report and annual accounts, as submitted to the Commission by the Private Universities in respect of each University every year to the State Government, who shall cause the same to be laid before the Legislative Assembly.".

In the Court of Sh. Gopal Chand Sharma, HPAS, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban), District Shimla H.P.

1. Sh Shalender Kumar aged about 35 years s/o Sh. Krishan Kumar, r/o Dhani Khasa Mahajanan, Khasa Mahajan (96) Hisar, Haryana.

2. Smt. Sakshi Sharma aged about 33 years, d/o Sh. Vijay Kumar, r/o Block No. C-42, Flat No. 2, Dev Nagar, Shimla, Tehsil & District Shimla, H.P.

Versus

General Public

Subject.— Registration of marriage under Special Marriage Act, 1954.

Sh Shalender Kumar aged about 35 years s/o Sh. Krishan Kumar, r/o Dhani Khasa Mahajanan, Khasa Mahajan (96) Hisar, Haryana and Smt. Sakshi Sharma aged about 33 years, d/o Sh. Vijay Kumar, r/o Block No. C-42, Flat No. 2, Dev Nagar, Shimla, Tehsil & District Shimla,

H.P. have filed an application alongwith affidavits in the court of the undersigned stating therein that they have solemnized their marriage on 09-12-2021 and are living together as huaband and wife since then, but the marriage has not been found entered in the records of Gram Panchayat concerned/Municipal Corporation Shimla and marriage be registered under the special marriage Act. 1954.

Therefore, objection are hereby invited from the General Public through this notice that if anyone has any objection regarding registration of this marriage, they can file their objections personally or in writing before this court of undersigned on or before 02-02-2025. After that no objection shall be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court today on 3rd January, 2025.

Seal. Sd/-

Special Marriage Officer-cum-*Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban).*

CHANGE OF NAME

I, Bidya Kumari w/o Sh. Lekh Ram, r/o Village Buthan Badgaroan, P.O. Loharli, Teh. Dhatwal at Bijhari, Distt. Hamirpur (H.P.) declare that I have changed my name from Vidhya Kumari to Bidya Kumari for all purposes in future. Please Note.

BIDYA KUMARI
w/o Sh. Lekh Ram,
r/o Village Buthan Badgaroan,
P.O. Loharli, Teh. Dhatwal at Bijhari,
Distt. Hamirpur (H.P.)

CHANGE OF NAME

I, Chandra Kumari w/o Sh. Sandeep Kumar, r/o Ward No. 3 Jawalamukhi, Post Office Jawalamukhi, Tehsil Jawalamukhi, Distt. Kangra H.P. declared that in my daughter birth certificate name Sruti wrongly mentioned. Her correct name is Shruti & Date of Birth 24-05-2016. Concerned Note.

CHANDRA KUMARI
w/o Sh. Sandeep Kumar, r/o Ward No. 3 Jawalamukhi,
Post Office Jawalamukhi, Tehsil Jawalamukhi,
Distt. Kangra H.P.

CHANGE OF NAME

I, Praveen Kumar, r/o Village Nandla, P.O. Jangla, Sub-Tehsil Jangla, Distt. Shimla H.P. declare that the name of my daughter Mansvi Sharma is wrongly mentioned as Marshia in her adhar card. Therefore it should be changed to Mansvi Sharma.

PRAVEEN KUMAR
r/o Village Nandla, P.O. Jangla,
Sub-Tehsil Jangla, Distt. Shimla H.P.

CHANGE OF NAME

I, Mehma Devi w/o Late Sh. Jagdish Chand, r/o Village Khera, P.O. Bikrambag, Tehsil Nahan, District Sirmaur (H.P.) declare that I have changed my name from Memo Devi (Previous Name) to Mehma Devi (New Name). Which needs to be corrected in my Aadhar Card. Please Note.

MEHMA DEVI
w/o Late Sh. Jagdish Chand,
r/o Village Khera, P.O. Bikrambag,
Tehsil Nahan, District Sirmaur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Virender Singh son of Sh. Het Ram, r/o Village Hirah, P.O. Tikkari, Tehsil Nerwa, District Shimla, H.P. hereby declare that I have changed my son's name from Vidhvansh Zinta (old name) to Vidharth Zinta (new name). All concerned please may note.

VIRENDER SINGH
s/o Sh. Het Ram, r/o Village Hirah,
P.O. Tikkari, Tehsil Nerwa, District Shimla, H.P.

नाम परिवर्तन

मैं, हिमा देवी उपनाम कृष्णी (48 वर्ष) पत्नी श्री जय लाल, निवासी गांव घेरा, डाकघर घांघणू, तहसील सुंदरनगर, जिला मंडी (हि0 प्र0) घोषणा करती हूं कि ग्राम पंचायत रिकॉर्ड में मेरा नाम कृष्णी दर्ज है जबकि आधार कार्ड में मेरा नाम हिमा देवी है। हिमा देवी और कृष्णी एक ही महिला के नाम हैं। सभी संबंधित नोट करें।

हिमा देवी
पत्नी श्री जय लाल,
निवासी गांव घेरा, डाकघर घांघणू,
तहसील सुंदरनगर, जिला मंडी (हि0 प्र0)।

CHANGE OF NAME

I, Sharmila Kanwar w/o Kuldeep Chand Kanwar, r/o Krishan Bhawan Auckland, School Lakkar Bazar Shimla H.P. Announce that in DDU HOSPITAL SHIMLA, my son name is recorded as Kanwar Digvijay Singh at birth which is incorrect whereas his correct name is Digvijay Singh Kanwar. In future my son is named as Digvijay Singh Kanwar in place of Kanwar Digvijay Singh.

SHARMILA KANWAR
w/o Kuldeep Chand Kanwar,
r/o Krishan Bhawan Auckland,
School Lakkar Bazar Shimla H.P.

नाम परिवर्तन

मैं, विपन कुमार पुत्र स्व0 प्रकाश चंद, गांव छम्ब, डाकघर सुधियाल, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) Presently Posted as HC/GD NO-037030088 17वीं वाहिनी रिकांगपिओ, जिला किन्नौर (हि0प्र0) यह घोषणा करता हूं कि सर्विस रिकॉर्ड में मेरे नाम की स्पेलिंग VIPIN KUMAR दर्ज है, जोकि गलत है। मेरा सही नाम VIPAN KUMAR है। इसे सम्बंधित रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए।

विपन कुमार
पुत्र स्व0 प्रकाश चंद,
गांव छम्ब, डाकघर सुधियाल,
तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित
इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध हैए वम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।